

प्रारूप—30.3

परियोजना विवरण :- जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र पिथौरागढ़ के अन्तर्गत चण्डाक से धारी मोटर मार्ग का धारी तक विस्तार का कार्य।

कार्यालय जिलाधिकारी, पिथौरागढ़  
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण-पत्र  
जिला स्तरीय समिति पिथौरागढ़

जिला पिथौरागढ़ परिषेत्र के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र पिथौरागढ़ के अन्तर्गत चण्डाक से धारी मोटर मार्ग का धारी तक विस्तार का कार्य ( 0.290 हेठले आरक्षित वन भूमि, 0.630 हेठले सिविल एवं सोयम वन भूमि 0.991 हेठले वन पंचायत भूमि, अर्थात् कुल 1.911 हेठले वन भूमि ) का प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग पिथौरागढ़ प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनूसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील पिथौरागढ़ ) की दिनांक -22-06-2019 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत जिला स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्रीवी.के.धौगढ़ेजिलाधिकारी एवं अध्यक्ष जिला स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

- 1- श्री ठांडुलगढ़ुजिलाधिकारी पिथौरागढ़ अध्यक्ष
  - 2- श्री अनिल कुमार प्रभागीय वनाधिकारी पिथौरागढ़ सदस्य
  - 3- श्रीमति मंजूला देवी पत्नी श्री महेन्द्र सिंह ग्राम सिर्दार्ग धारचूला जिला पंचायत सदस्य
  - 4- श्री कमलेश आर्या पुत्र श्री प्रेम राम ग्राम जैती विकास खण्ड मुनस्यारी जिला पंचायत सदस्य
  - 5- श्री अमर बहादुर चन्द्र पुत्र श्री लक्ष्मी चन्द्र ग्राम दुतीवगड जौलजीवी विकास खण्ड धारचूला जिला पंचायत सदस्य
  - 6- श्री ~~रमेश कुमार~~ जिला समाज कल्याण अधिकारी पिथौरागढ़ सदस्य / सचिव

जिला सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए जिलाधिकारी की अनुमति बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र पिथौरागढ़ के अन्तर्गत चण्डाक से धारी मोटर मार्ग का धारी तक विस्तार का कार्य परियोजना हेतु 1.911 हेठले वन भूमि प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग पिथौरागढ़ प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्संबंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में जिला स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से जिला पिथौरागढ़ परिषेक्त्र के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र पिथौरागढ़ के अन्तर्गत चण्डाक से धारी मोटर मार्ग का धारी तक विस्तार का कार्य परियोजना के निर्माण हेतु 1.911 हेतु 1.911 वन भूमि प्रान्तीय खण्ड लोक निमाण विभाग पिथौरागढ़ प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति द्यक्त की गयी।

अतः प्रकरण में जिला स्तरीय वनाधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

विद्यारथीय वर्ष अंतिम  
विद्योत्तरवाच् वर्ष अंतिम

४१

*Chp 9*

जिला समाज वेदान अधिकारी  
स्थिरांगठ

प्रारूप-30

(वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत समस्त वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्तावों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्रों पर<sup>1</sup>  
सुचना/अभिलेख संलग्न किये जाने हैं।)

FORM-1

(for linear projects)

Government of Uttarakhand

Office of the District Collector Pithoragarh

No--- 45

Dated- 22-6-09


TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3<sup>rd</sup> August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Rocognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5<sup>th</sup> February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **1.911 hectares** of forest land proposed to be diverted in favour of Public Work Department for in Pithoragarh district falls within jurisdiction of Chandak, Dhari Joshi, Dungari village (s) in Munakot (Pithoragarh) tehsils.

It is further certified that:

- (a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 1.911 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division laevel Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure ...to ...annexure....
- (b) the diversion of forest land for facilities managed by the Gvoernment as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;
- (c) the proposal does not involve recognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Eucl: As above.

  
 Signature  
 (Full name and official seal of the District Collector)

प्रारूप-30.1

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER  
DISTRICT PITHORAGARH (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of **Pithoragarh** district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Mr/Mrs/Miss. VINAY KUMAR JOGDANDE..... I.A.S deputy commissioner, **Pithoragarh**... on dated 22-6-019 at time 2.00 P.M. at **Pithoragarh** which application claiming rights in ----- area measuring 1.911 hect for the construction of Chandak To Dhari forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of **Pithoragarh** sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place: Pithoragarh  
Dated: 22-6-019

Deputy Commissioner-cum-Chairman  
District Level Committee

परियोजना विवरण :— जनपद पिथौरागढ के विधान सभा क्षेत्र पिथौरागढ के अन्तर्गत चण्डाक से धारी मोटर मार्ग का धारी तक विस्तार का कार्य।

कार्यालय उप जिलाधिकारी, पिथौरागढ

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण—पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति, पिथौरागढ

उपखण्ड पिथौरागढ परिक्षेत्र के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ के विधान सभा क्षेत्र पिथौरागढ के अन्तर्गत चण्डाक से धारी मोटर मार्ग का धारी तक विस्तार का कार्य ( 0.290 हेक्टेएक्ट वन भूमि, 0.630 हेक्टेएक्ट सिविल सोयम वन भूमि 0.991 हेक्टेएक्ट वन पंचायत भूमि, अर्थात कुल 1.911 हेक्टेएक्ट वन भूमि ) का प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग पिथौरागढ प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील पिथौरागढ) की दिनांक 26/03/2019 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरणः—

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री तुषार सर्वेरी, उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1— श्री <u>तुषार सर्वेरी</u>	उपजिलाधिकारी	<u>पिथौरागढ</u>	अध्यक्ष
2— श्री <u>भास्त्र कुमार</u>	उप प्रभागीय वनाधिकारी	<u>डिपार्टमेंट</u>	सदस्य <u>पिथौरागढ वन समिति</u>
3— श्री <u>किरण</u>	सहायक समाज कल्याण अधिकारी		सदस्य / सचिव <u>इनांग</u>
4— श्री	बी०डी०सी० क्षेत्र		सदस्य <u>पिथौरागढ वन समिति</u> क्षेत्र पंचायत उपरतोला
5— श्रीमती सुशीला देवी बी०डी०सी० क्षेत्र गोगना सदस्य			<u>विकास खण्ड विभाग, पिथौरागढ</u>
6— श्री राजेन्द्र सिंह बी०डी०सी० क्षेत्र खतीगांव तल्लीसार सदस्य			
7— श्री ललित प्रसाद बी०डी०सी० क्षेत्र उपरतोला सदस्य			
8— श्रीमती बिन्दु देवी बी०डी०सी० क्षेत्र निशनी सदस्य			
9— श्री मनोज धपोला बी०डी०सी० क्षेत्र दियूड़ी सदस्य			
10— श्रीमती शकुन्तला देवी ग्राम बुडौली		<u>14/03/2019</u>	
11— श्रीमती निमला देवी ग्राम जजुराली		<u>सदस्य</u>	
12— श्रीमती सुनीता देवी ग्राम सौङ्गलेख			<u>क्षेत्र पंचायत भवकटिया-प्रथम</u>
13— श्रीमती भागीरथी देवी ग्राम जीवी			<u>विथू०-मूनाकोट, पिथौरागढ</u>
14— श्री महेश ग्राम भडकटिया			

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि जनपद पिथौरागढ के विधान सभा क्षेत्र पिथौरागढ के अन्तर्गत चण्डाक से धारी मोटर मार्ग का धारी तक विस्तार का कार्य परियोजना हेतु 1.911 हेक्टेएक्ट वन भूमि प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग पिथौरागढ प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड पिथौरागढ परिक्षेत्र के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ के विधान सभा क्षेत्र पिथौरागढ के अन्तर्गत चण्डाक से धारी मोटर मार्ग का धारी तक विस्तार का कार्य परियोजना हेतु 1.911 हेक्टेएक्ट वन भूमि प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग पिथौरागढ प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, ..... को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।



उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष  
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति  
जनपद/ तहसील-पिथौरागढ

जनपद पिथौरागढ

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष  
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति  
तहसील- पिथौरागढ  
(उत्तरखण्ड)

सहायक समाज कल्याण अधिकारी  
विकास खण्ड - मूनाकोट (मौजूदा)

क्षेत्र पंचायत सदस्य  
मुरमुनी, वि.ख.विष्ण  
(पिथौरागढ)

प्रारूप-30.3 द्वितीय भृत्य संग्रहीत विवरण

परियोजना का नाम जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र पिथौरागढ़ के अन्तर्गत सुगीली चमाटी सेड से मठीनाखोली चमाटी विधान सभा तक मोटर मार्ग का नव निर्माण।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम .....।

अनापत्ति प्रमाण पत्र ॥१॥ दृग् ॥

उत्तराखण्ड में जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र पिथौरागढ़ के अन्तर्गत सुगाली चमारी रोड से ~~प्रदूषित~~ क्षेत्री कामारी विधान तक मोटर मार्ग का नव निर्माण। परियोजना के निर्माण हेतु ( ०.६० हैं) ०.६३ हैं आक्षित वन भूमि ०.६३ हैं विल सोयम भूमि ०.६३ हैं, वन पंचायत भूमि ) अर्थात् कुल १.११ हैं वन भूमि का प्रा० ख० लो० नि० वि० पिथौरागढ़ लिखान / संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त कारण के विषय में ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक ०५/०५/१८ को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्रविधियाँ के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम **गुरुद्वारा** के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि प्रा० ख० ल० नि० वि० पिथौरागढ़ प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

प्राप्त पद्धायत् विकास आधकारा  
क्षेत्र ग्राम संस्थिति  
विकास खण्ड उद्दित - विषा  
उपद - पिंडौराशाह

५०/-  
ग्राम प्रधान / सरपंच  
गहर सहित



## प्रारूप-30.4

दिनांक 5/5/2021 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत दार्दी लिस्ट

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1.	ज्योति राजे	
2.	कृष्ण दास	
3.	नंदा वल्लभ	
4.	बद्रीनाथ चौधरी	
5.	श्रीकृष्ण जाग्नी	
6.	दीप्तिया राम	
7.	प्रभु विनोद	
8.	दीप्ति दीप्ति	
9.	प्रभु राम	
10.	मोहन राम	
11.		
12.		
13.	जीवली शीता जोशी	
14.	लक्ष्मी लक्ष्मी	
15.	लक्ष्मी लक्ष्मी	
16.	प्रभु विनोद	
17.	कलानाथ नाथ	
18.		
19.	प्रभु विनोद	
20.	प्रभु विनोद	
21.	प्रभु विनोद	
22.	रमेश विनोद	
23.	रमेश विनोद	
24.	मुमुक्षु विनोद	
25.		
26.	विनोद विनोद	
27.	भरत विनोद	
28.	विनोद विनोद	
29.	भरत विनोद	
30.	जापाव विनोद	
31.	जामल विनोद	Kamal Singh
32.	जामल विनोद	
33.	जामल विनोद	
34.	आमिल सिंह	
35.		

ग्राम पंचायत विकास आधिकारी  
क्षेत्र एम एम एम  
विकास खण्ड - विषय  
पद - प्रिथ्वीरामगढ़



## प्रारूप-30.3

परियोजना का नाम :— जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र पिथौरागढ़ के अन्तर्गत चण्डाक से धारी मोटर मार्ग का धारी तक विस्तार मोटर मार्ग का नव निर्माण।

## वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण—पत्र

ग्राम पंचायत का नाम एली

तहसील पिथौरागढ़, जिला पिथौरागढ़

## अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत चण्डाक से धारी मोटर मार्ग का धारी तक विस्तार मोटर मार्ग का नव निर्माण। परियोजना के निर्माण हेतु ( 0.29 हेतु आरक्षित वन भूमि, 0.63 हेतु सिविल सोयम भूमि 0.991 हेतु, वन पंचायत भूमि ) अर्थात कुल 1.911 हेतु वन भूमि का प्रा० खा० लो० नि० वि० पिथौरागढ़ विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत एली द्वारा दिनांक 05/05/2018 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। \* उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम एली के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि प्रा० खा० लो० नि० वि० पिथौरागढ़ प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

हे०/- SM  
ग्राम सचिव  
मुहर सहित अधिकारी  
क्षेत्र — धारी पा० नि० वि०  
विकास खण्ड विषय  
जनपद - पिथौरागढ़

सरपंच  
क्षेत्र पंचायत  
धारी जोशी (पिथौरागढ़)



प्रारूप-30.4

दिनांक 05/05/18 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत दारी

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामदातियों के नाम	हस्ताक्षर
1.	धैराम सिंह	उमा प्रिय
2.	नीलाल बड़ु	नीलाल बड़ु
3.	द्वारिधारा राज	द्वारिधारा राज
4.	पल्ली बेलवट	पल्ली बेलवट
5.	पुरुष राम	पुरुष राम
6.	आशोक कुमार	आशोक कुमार
7.	भौद्धराम	भौद्धराम
8.	झिल्लु राम	झिल्लु राम
9.	बालुल राम	बालुल राम
10.	भर्मोडा कुमार	भर्मोडा कुमार
11.	बृंदा राम	बृंदा राम
12.	लक्ष्मी युक्ता	लक्ष्मी युक्ता
13.	क्षेत्रीय चंद्रमा	क्षेत्रीय चंद्रमा
14.	महात्मा	महात्मा
15.	जग्जीव राम	जग्जीव राम
16.	प्रकाश राम	प्रकाश राम
17.	मोहन चंद्र	(mohan chand)
18.	कुल राम	कुल राम
19.	जर्नल राम	जर्नल राम
20.	जामला राम	जामला राम
21.	छडवन राम	छडवन राम
22.	शांति राम	शांति राम
23.	भगवन राम	भगवन राम
24.	पुष्पा राम	पुष्पा राम
25.	हेमा राम	हेमा राम
26.	कैलाश राम	कैलाश राम
27.	देवली तिवारी	देवली तिवारी
28.	सुनीता तिवारी	सुनीता तिवारी
29.	कर्ज राम	कर्ज राम
30.	भावना राम	भावना राम
31.	सुभाष राम	सुभाष राम
32.	रविन्द्र तिवारी	रविन्द्र तिवारी
33.	सिन्दौर तिवारी	सिन्दौर तिवारी
34.	शंखना तिवारी	शंखना तिवारी
35.	वामल तिवारी	वामल तिवारी
36.	प्रियंका राम	प्रियंका राम

पुष्पा राम

लाजमाला (वर्मा)

जग्जीव राम

सरपंच  
ग्राम पंचायत  
द्वारी जोशी (पिथौरागढ़)

उमा प्रिय

द्वारिधारा राम

दीप चंद्र तिवारी

मेला प्रिय

37 → अमृता



## प्रारूप-30.3

परियोजना का नाम :— जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र पिथौरागढ़ के अन्तर्गत चण्डाक से धारी मोटर मार्ग का धारी तक विस्तार मोटर मार्ग का नव निर्माण।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र  
ग्राम पंचायत का नाम .....  
तहसील पिथौरागढ़, जिला पिथौरागढ़

## अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत चण्डाक से धारी मोटर मार्ग का धारी तक विस्तार मोटर मार्ग का नव निर्माण हेतु ( 0.29 हेतु आरक्षित वन भूमि, 0.63 हेतु सिविल सोयम भूमि 0.991 हेतु, वन पंचायत भूमि ) अर्थात् कुल 1.911 हेतु वन भूमि का प्राप्त खण्ड 0.00 निर्माण के लिए विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत ३०/१ द्वारा दिनांक २५-०८-२०१६ के सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। \* उपरिथित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम ३०/१ के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि प्राप्त खण्ड 0.00 निर्माण के लिए विभाग/संस्था को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

हरा सचिव  
ग्राम सचिव  
मुहर सहित



हरा सचिव  
ग्राम पंचायत दस्तावेज  
मुहर सहित

## प्रारूप-30.4

दिनांक 29-05-2019 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत ५२१२१

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1.	Ramveer Singh	<u>.....</u>
2.	Dipak Kumar	<u>.....</u>
3.	Chandru Singh	<u>.....</u>
4.	Shiv Singh	<u>.....</u>
5.	Shiv Singh	<u>.....</u>
6.	Shiv Singh	<u>.....</u>
7.	Shiv Singh	<u>.....</u>
8.	Chandru Singh	<u>.....</u>
9.	Chandru Singh	<u>.....</u>
10.	Chandru Singh	<u>.....</u>
11.	Chandru Singh	<u>.....</u>
12.	Chandru Singh	<u>.....</u>
13.	Chandru Singh	<u>.....</u>
14.	Chandru Singh	<u>.....</u>
15.	Chandru Singh	<u>.....</u>
16.	Chandru Singh	<u>.....</u>
17.	Chandru Singh	<u>.....</u>
18.	Chandru Singh	<u>.....</u>
19.	Chandru Singh	<u>.....</u>
20.	Chandru Singh	<u>.....</u>
21.	Chandru Singh	<u>.....</u>
22.	Chandru Singh	<u>.....</u>
23.	Chandru Singh	<u>.....</u>
24.	Chandru Singh	<u>.....</u>
25.	Chandru Singh	<u>.....</u>
26.	Chandru Singh	<u>.....</u>
27.	Chandru Singh	<u>.....</u>
28.	Chandru Singh	<u>.....</u>



### प्रारूप-30.3

परियोजना का नाम :— जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र पिथौरागढ़ के अन्तर्गत चण्डाक से धारी मोटर मार्ग का धारी तक विस्तार मोटर मार्ग का नव निर्माण।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र  
ग्राम पंचायत का नाम पौण  
तहसील पिथौरागढ़, जिला पिथौरागढ़


#### अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत चण्डाक से धारी मोटर मार्ग का धारी तक विस्तार मोटर मार्ग का नव निर्माण। परियोजना के निर्माण हेतु ( 0.29 हेतु आरक्षित वन भूमि, 0.63 हेतु सिविल सोयम भूमि 0.991 हेतु, वन पंचायत भूमि ) अर्थात कुल 1.911 हेतु वन भूमि का प्राठ ५० लो० निं० वि० पिथौरागढ़ विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत पौण द्वारा दिनांक २१.०५.२०१७ को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। \* उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसमति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम पौण के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि प्राठ ५० ख० लो० निं० वि० पिथौरागढ़ प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोइ आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

  
सरपंच  
वन पंचायत पौण  
पिथौरागढ़ (उत्तराखण्ड)

ग्राम प्रधान सीन्हन जै  
ग्राम पंचायत पौण  
ग्राम प्रधान सरपंच  
बिठ्ठ० विष्णु पिथौरागढ़  
मुहर सांहत

प्रारूप—30.4

दिनांक १०.०५.२०१९ को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति  
ग्राम पंचायत पौरा

क्र०सं०	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
१.	गणेश वल्लदया	<u>गणेश</u> Ganesh
२.	तपन वल्लदया	<u>तपन</u> Tapna
३.	गीता देवी	<u>गीता देवी</u> Gita Devi
४.	रेखा देवी	<u>रेखा</u> Rekha
५.	श्याम सिंह	<u>श्याम सिंह</u> Shyam Singh
६.	बुद्धाल वल्लदया	<u>बुद्धाल वल्लदया</u> Buddhal Valldaya
७.	ब्रेम सिंह वल्लदया	<u>ब्रेम सिंह</u> Prem Singh
८.	लेपा देवी	<u>लेपा देवी</u> Lepe Devi
९.	मंजू देवी	<u>मंजू</u> Majnu Devi
१०.	मीहन सिंह	<u>मीहन सिंह</u> Meihen Singh
११.	पुरन सिंह वल्लदया	<u>पुरन सिंह</u> Puran Singh
१२.	विलाल तुमान	<u>विलाल तुमान</u> Vilal Tuman
१३.	अगिल तुमान	<u>अगिल</u> Agil
१४.	शिखा वल्लदया	<u>शिखा</u> Shikha
१५.	मोहन जाम	<u>मोहन जाम</u> Mohun Jam
+		

ग्राम प्रधान मोहन जाम  
ग्राम पंचायत पौरा  
ग्राम प्रधान  
विठ्ठली-विण, विद्यौरागढ